



प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
जनपद-लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 745/सत्तर-2-2023-16(11)/2017टी.सी., दिनांक : 20.03.2023 द्वारा नवीन महाविद्यालय अथवा पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों के संचालनार्थ सहयुक्तता प्राप्त करने हेतु "henoc.upsdc.gov.in" पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित किये जाने के अन्तर्गत निम्नानुसार समय सारिणी निर्धारित की गयी है जिससे पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है :-

निरीक्षण मण्डल का गठन	10 अप्रैल, 2023 तक
निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 31 मई, 2023 तक
सदस्य सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना	दिनांक 05 जून, 2023 तक
विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जून, 2023 तक

उ0प्र0 शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार संदर्भित पोर्टल "henoc.upsdc.gov.in" के माध्यम से जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित अवधि में सहयुक्तता हेतु निरीक्षक मण्डल नामित किये जाने का आवेदन किया गया है उनमें विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षक मण्डल नामित एवं पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं।

अतः जिन महाविद्यालयों को ऑनलाइन अस्थायी/स्थायी सहयुक्तता के लिए निरीक्षक मण्डल नामित किये जा चुके हैं, को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कराकर दिनांक 31.05.2023 तक प्रत्येक दशा में स्थलीय निरीक्षण आख्या शासन के पोर्टल "henoc.upsdc.gov.in" पर ऑनलाइन अपलोड कराने एवं उसकी प्रति विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि निर्धारित अवधि में प्रकरणों का सम्यक निस्तारण किया जा सके अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय

31-5-23
(संजय मेधावी)
कुलसचिव

संख्या :

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर-एम, आशियाना, लखनऊ एवं प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सहयुक्त राजकीय महाविद्यालयों को इस आशय से प्रेषित कि जिन निरीक्षण मण्डल में वे सदस्य सचिव के रूप में नामित हैं, उनकी निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में उक्तानुसार निर्धारित अवधि में शासन के पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. ☒ ईचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई-मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. सहायक कुलसचिव (सम्ब.)।
6. गार्ड फाईल।

कुलसचिव